

KHASRA PLAN

176/1

176

175

175/2

177

Other Land

180/4

180/2

180/2/2

185/8

186

184/5

185

185/2


186/2

186/2/1 186/2/2 186/2/3 186/2/4



SCALE - 1:4000

LOCATION PLAN




NO	DESCRIPTION	UNIT	QTY	AMOUNT	TOTAL
1	1000				
2	1000				
3	1000				
4	1000				
5	1000				
6	1000				
7	1000				
8	1000				
9	1000				
10	1000				
11	1000				
12	1000				
13	1000				
14	1000				
15	1000				
16	1000				
17	1000				
18	1000				
19	1000				
20	1000				
21	1000				
22	1000				
23	1000				
24	1000				
25	1000				
26	1000				
27	1000				
28	1000				
29	1000				
30	1000				
31	1000				
32	1000				
33	1000				
34	1000				
35	1000				
36	1000				
37	1000				
38	1000				
39	1000				
40	1000				
41	1000				
42	1000				
43	1000				
44	1000				
45	1000				
46	1000				
47	1000				
48	1000				
49	1000				
50	1000				




100 METER ROAD
200 METER ROAD
KERTAWA ROAD


NO	DESCRIPTION	UNIT	QTY	AMOUNT	TOTAL
1	1000				
2	1000				
3	1000				
4	1000				
5	1000				
6	1000				
7	1000				
8	1000				
9	1000				
10	1000				
11	1000				
12	1000				
13	1000				
14	1000				
15	1000				
16	1000				
17	1000				
18	1000				
19	1000				
20	1000				
21	1000				
22	1000				
23	1000				
24	1000				
25	1000				
26	1000				
27	1000				
28	1000				
29	1000				
30	1000				
31	1000				
32	1000				
33	1000				
34	1000				
35	1000				
36	1000				
37	1000				
38	1000				
39	1000				
40	1000				
41	1000				
42	1000				
43	1000				
44	1000				
45	1000				
46	1000				
47	1000				
48	1000				
49	1000				
50	1000				



PROPOSED 100 METER ROAD
[As per Model Plot 2021]
Kertawati
Lempur



2.8.67



Valid up to 04-11-2014


APPROVED

As Per Conditions of Sale


Memorandum No. 3667 dt. 5-11-2011

[Signature]
 Joint Director
 Industrial & Commercial Development, Indore

[Signature]
 Deputy Director,
 Town & Country Planning
 Indore (M. P.)



LAND OWNER'S NAME	CHASRA NO.	AREA IN HECTARE
B. R. GOYAL INFRASTRUCTURE PVT. LTD. INDORE	185/V/3	0.534
	185/V/1	0.541
	185/V/1	1.016
	185/V/1	0.530
	185/5	0.501
	185/6	0.425
	185/8	0.200
	185/1	0.502
	185/2/2	0.780
	175/V/1	0.911
	176	2.177
	185/1/16	0.063
	145/1/1	
	185/2/1	0.114
185/2	0.040	
185/7/2	0.558	
177/1	2.440	



SCALE - N.T.S.

2014
 21-2011

M. B. G.

10. 10/10/10

PROPOSED LA TOUT PLAN
 BEARING KN NO 185/173, 185/174,
 185/78, 186/71, 186/72, 175/71, 175/72, 185/171, 185/172
 185/772, 177/71, 177/72, 177/73, 177/74 & Dist. Map
 B.T.O.
 B.R. Goyal Infrastructure Pvt. Ltd., Indore
 & Other

AREA STATEMENT	Area (In sq.m.)	%
TOTAL LAND AREA	146190	
AREA UNDER 60M WIDE ROAD WIDENING	2401.19	
AREA UNDER 30M WIDE ROAD WIDENING	2825.12	
NET PLANNING AREA	140963.69	100
PERMISSIBLE PLOT AREA	70481.84	50
PROPOSED PLOT AREA	67465.22	47.86
PERMISSIBLE RESIDENTIAL AREA	14096.36	10
PROPOSED RESIDENTIAL AREA	14096.36	10
PERMISSIBLE SPACE FOR ACTIVITY	14096.36	10
PROPOSED SPACE FOR ACTIVITY	11869.14	8.42
(warehousing)	2218.51	1.58
AREA FOR PETROL PUMP	TOTAL	10 %
PERMISSIBLE OPEN AREA/PARKING	7048.18	5
PROPOSED OPEN AREA/PARKING	7048.18	5
PERMISSIBLE PARKING & ROAD AREA	35240.92	25
PROPOSED PARKING & ROAD AREA	35269.12	25.02
SERVICES AREA	3000	2.12


NO.	AREA IN HECTARE
V3	0.524
V1	0.641
V1	1.016
V1	0.639
	0.501
	0.425
	0.208
	0.082
Q	0.785
V1	0.911
	2.177
M	0.083
n	
n	0.114
	0.049
Q	0.358
	2.446
	1.842
12	1.253

MAP PREPARED ON BASE OF ALL LEGALISE INFORMATION FROM CLIENT



For B.R. Goyal Infrastructure Pvt. Ltd.

21/10/14



न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व इन्दौर
प्रकरण संख्या/ ४४ / अ-२ / ११.१२

सी आर गोयल इन्फार्स्ट्रक्चर तर्फे डायरेक्टर,
गोपाल पिता बालकृष्ण गोयले,
सी आर गोयल इन्फार्स्ट्रक्चर तर्फे डायरेक्टर,
बृजकिशोर पिता बालकृष्ण गोयले,
उमरावसिंह पिता जगन्नाथ,मानसिंह पिता जगन्नाथ,
पता - ३ ए अग्रवाल नगर सपना संगीता मेनरोड इंदौर

आवेदकगण

जादेश


(पारित दिनांक ०९/१२/११)

(मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा १७२(१) के अन्तर्गत)
प्रकरण में आवेदकगण द्वारा ग्राम मातीखेड़ी तहसील इन्दौर स्थित खगण नगर

क्रमांक	सर्सेनबर	रकबा हेक्टर म
1-	185/1/3-	0.524-
2-	185/3/1-	0.644-
3-	185/4/1-	1.016-
4-	186/3/1-	0.839-
5-	185/5-	0.591-
6-	185/6-	0.425-
7-	185/8-	0.288-
8-	186/1-	0.092-
9-	186/2/2-	0.785-
10-	175/1/1-	0.911-
11-	176-	2.177-
12-	185/1kha,185/7/1-	0.063-
13-	186/2/1-	0.114-
14-	185/2-	0.049-
15-	185/7/2-	0.558-
16-	177/1-	2.448-
17-	177/2-	1.842-
18-	175/1/2-	1.253-
TOTAL	19-	14.619-HECT



अनुविभागीय अधिकारी
कलेक्टर, इंदौर



बी आर गोयल इन्फास्ट्रक्चर तर्फे डायरेक्टर,
गोपाल पिता बालकृष्ण गोयल,
बी आर गोयल इन्फास्ट्रक्चर तर्फे डायरेक्टर,
बृजकिशोर पिता बालकृष्ण गोयल,
उमरावसिंह पिता जगन्नाथ, मानसिंह पिता जगन्नाथ,
पता:-3 ए अग्रवाल नगर सपना संगीता मेनरोड इंदौर

आवेदकगण

आदेश

(पारित दिनांक 09/12/11)

(मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत)
प्रकरण में आवेदकगण द्वारा ग्राम मालीखेडी तहसील इन्दौर स्थित खसरा नंबर

क्रमांक	सर्वेनंबर	रकबा हेक्टर म
1-	185/1/3-	0.524-
2-	185/3/1-	0.644-
3-	185/4/1-	1.016-
4-	186/3/1-	0.839-
5-	185/5-	0.591-
6-	185/6-	0.425-
7-	185/8-	0.288-
8-	186/1-	0.092-
9-	186/2/2-	0.785-
10-	175/1/1-	0.911-
11-	176-	2.177-
12-	185/1kha, 185/7/1-	0.063-
13-	186/2/1-	0.114-
14-	185/2-	0.049-
15-	185/7/2-	0.558-
16-	177/1-	2.448-
17-	177/2-	1.842-
18-	175/1/2-	1.253-
TOTAL	19-	14.619-HECT



अवेदकगणक / 88 / अ-2 / 11.12
कलेक्टर, इंदौर



प्रकरण क्रमांक / १४ / अ-२/१११२

उपरोक्त भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अंतर्गत केवल औद्योगिक भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित करने के आशय से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र के साथ खसरा बी-1, रजिस्ट्री की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।

राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम भूमिस्वामी स्वत्व के रूप में अंकित होने पर प्रकरण में व्यपवर्तन की अनुज्ञा जारी किए जाने के प्रश्न पर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्दौर विकास प्राधिकारी इन्दौर का अनापूर्ति पत्र प्रेषित करने हेतु पत्राचार किया गया।


01. भूमि अर्जन अधिकारी इन्दौर विकास प्राधिकारी इन्दौर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 8685/भू अर्जन, इन्दौर दिनांक 23.11.11 द्वारा आवेदित भूमि का व्यपवर्तन किये जाने हेतु सशत अनापूर्ति प्रदान की गई है जो शामिल प्रकरण है।
02. संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर द्वारा अपने पत्र क्रमांक / 7668 / नगानी / इन्दौर दिनांक 5.11.2011 से आवेदित भूमि पर केवल औद्योगिक भूखण्डीय विकास प्रयोजन के आशय से अभिन्यास अनुमोदित किया गया है। जो शामिल प्रकरण है।
03. अधीक्षक भूमि परिवर्तन से प्रकरण में आवेदित भूमि की जाँच कर प्रतिवेदन लिया गया। अधीक्षक भूमि परिवर्तन द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया की :-
 - (1) प्रश्नाधीन भूमि पर शासकीय या अन्य भूमि शामिल नहीं है।
 - (2) प्रश्नाधीन भूमि का पटवारी नक्शे से मिलान होता है।
 - (3) प्रश्नाधीन भूमि पर कोई विकास / निर्माण नहीं है।
 - (4) प्रश्नाधीन भूमि में वृक्ष नहीं है।
 - (5) प्रश्नाधीन भूमि मौके पर पडत है।
 - (6) प्रश्नाधीन भूमि का इस न्यायालय में कोई प्रकरण विवादित नहीं है।

ग्राम मालीखेड़ी तहसील इन्दौर की शारान द्वारा स्वीकृत औद्योगिक प्रयोजन मानक दर नहीं होने पर समीपस्थ ग्राम देवगुराडिया की स्वीकृत दर रूपए 21.0 प्रति 100 वर्गफीट के मान से कुल रकबा 1516769-वर्गफीट भूमि पर भूराजस्व का पुनः निर्धारण रूपए 3,18,522/- प्रति वर्ष तथा प्रिमियम रूपये 10.0 प्रति वर्गमीटर के मान से रूपये 14,09,640/- कायम किया जाना अधीक्षक भूमि परिवर्तन द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रस्तावित किया गया है। नोट:- नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर द्वारा नेट प्लानिंग एरिया 140963.69 वर्गमीटर अभिन्यास स्वीकृत अनुसार पुनर्निर्धारण कायम किया है।



3

कलेक्टर, इन्दौर




प्रकरण क्रमांक / ४४ / अ-२ / १११२

अतएव अधीक्षक भूमि परिवर्तन के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम मालीखेडी तहसील इन्दौर की खसारा नंबर:-

क्रमांक	सर्वेनंबर	रकबा हेक्टेयर में
1-	185/1/3-	0.524-
2-	185/3/1-	0.644-
3-	185/4/1-	1.016-
4-	186/3/1-	0.839-
5-	185/5-	0.591-
6-	185/6-	0.425-
7-	185/8-	0.288-
8-	186/1-	0.092-
9-	186/2/2-	0.785-
10-	175/1/1-	0.911-
11-	176-	2.177-
12-	185/1kha, 185/7/1-	0.063-
13-	186/2/1-	0.114-
14-	185/2-	0.049-
15-	185/7/2-	0.558-
16-	177/1-	2.448-
17-	177/2-	1.842-
18-	175/1/2-	1.253-
TOTAL	19-	14.619-HECT

उपरोक्त भूमि पर भूराजस्व का पुननिर्धारण रूपर 3,18,522/-प्रति वर्ष तथा पंचायत उपकर भी प्रति वर्ष 2011-2012 से तथा प्रीमियम रूपर 14,09,640/- कायम कर प्रकरण में म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अंतर्गत आवेदित कृषि भूमि पर केवल औद्योगिक भूखण्डीय विकास प्रयोजन में व्यपवर्तित करने की अनुज्ञा निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि का उपयोग केवल औद्योगिक भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु ही किया जा सकेगा। अन्य प्रयोजन नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कायम पुननिर्धारण/पंचायत उपकर/प्रीमियम की राशि आदेश दिनांक से एक माह के अन्दर शासकीय कोष में जमा कराना होगा।




अनुत्तराधिकारी अधिकारी,
कलेक्टर, इन्दौर

प्रकरण क्रमांक / १४ / अ-२ / १११२

- 03 भू स्वामि स्वत्व संबंधि कोई विवाद होने पर या गलत जानकारी पाई जाने पर व्यपवर्तन की स्वीकृती निरस्त की जा सकेगी ।
- 04 यदि प्रार्थी को इस अनुज्ञा के अतिरिक्त किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों/संस्थानों से प्राप्त करना आवश्यक हो तो वह भी प्राप्त करना होगी ।
- 05 प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण की अनुमती विधिवत पंचायत से प्राप्त करना अनिवार्य होगी । उसके बाद ही मौके पर विकास/निर्माण किया जावेगा ।
- 06 प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित उपयोग से जनहित में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न नहीं हो ऐसी व्यवस्था स्वयं को करना होगी ।
- 07 प्रार्थी द्वारा संयुक्त सचालक नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर के अनुमोदित अभिन्यास अनुसार ही मौके पर विकास/निर्माण किया जा सकेगा एवं सलग्न पत्र में अंकित संपूर्ण शर्तों का अक्षरसः पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
- 08 प्रार्थी निर्मित क्षेत्र के अतिरिक्त खूली भूमि पर राधन वृक्षारोपण लगाना होगा । साथ ही आवेदित भूमि पर रिश्त वृक्षों को दिना सक्षम अनुमति क काटा नहीं जा सकेगा ।
- 09 प्रार्थी को इंदौर विकास प्राधिकारी इंदौर के अनापत्ति पत्र में अंकित संपूर्ण शर्तों का अक्षरसः पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
- 10 प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि के ग्रामीण शासकीय कांकड/रास्ता या अन्य भूमि हो तो उस पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण नहीं किया जा सकेगा ।
- 11 प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि का राजस्व निरीक्षक/पटवारी से सीमाकन कराये जाने के उपरांत ही विकास निर्माण कार्य किया जा सकेगा ।

उपरोक्त व्यपवर्तित की अनुज्ञा के साथ निर्धारित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह आदेश निरस्त माना जावेगा । बाद प्रकरण में नियमानुसार म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा १७२(४)(५)(६) के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।
आदेश खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

अनुविभागीय अधिकारी,
राजस्व इन्दौर,
कलेक्ट्रेट, इन्दौर



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कलेक्टोरेट इन्दौर, म०

परुग-पांच

कालोनी के विकास की अनुमति

दिनांक 16/12/2011

अनुमति क्रमांक/40/201

मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अन्तर्गत क-
गये म०प्र० ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्वन्धन तथा शर्त) नियम 1999 के अ-
निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये :-

- (1) नाम- वी०आर०गोयल इन्फास्ट्रक्चर प्रा०लि० एव श्री उमरावसिंह, मानसिंह पिता श्री जगन्नाथ तर्फे विकासकर्ता वी०आर०गोयल इन्फास्ट्रक्चर तर्फे डायरेक्टर
- (2) निवासी- 3-ए अग्रवाल नगर इन्दौर
- (3) मोहल्ला- अग्रवाल नगर
- (4) नगर- इन्दौर
- (5) ग्राम- मालीखेडी
- (6) तहसील- इन्दौर
- (7) जिला- इन्दौर

को सर्वे नंबर 185/1/3, 185/3/1, 185/4/1, 186/3/1, 185/5, 185/6, 185/8, 186/1, 186/2/2, 175/1/1, 176, 185/1ख, 185/7/1, 186/2/1, 185/2, 185/7/2, 177/1, 177/2, 175/1/2 कुल रकबा 14.619 हेक्टर भूमि पर ग्राम मालीखेडी स्थित कालोनी में आधुनिक भूखण्डीय प्रयोजन हेतु विकास प्रारंभ करने की विकास० अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1/ नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम 1976 के उपबन्धों के अधीन सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा ।
- 2/ म०प्र० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों पालन करना होगा ।
- 3/ म०प्र० भू-राजस्व संहिता में कथित भू-व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा ।
- 4/ भूमि स्वत्व संबंधी कोई भी विवाद होने की स्थिति में यह अनुमति स्वमेव निरस्त म जावेगी ।
- 5/ ई०आय०ए० नोटिफिकेशन जुलाई 2004 के प्रावधानों के तहत आवश्यक हो तो पर्याप्त स्वीकृति लेना व बोर्ड से जल एवं वायु की सहमति लेना अनिवार्य होगा ।
- 6/ संयुक्त सचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग इन्दौर द्वारा अनुमोदित अभिन्यास के अनुर राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी से मौके पर अभिन्यास का सीमांकन/चिन्हांकन सत्यापन कराना अनिवार्य होगा ।
- 7/ आवेदक को अनुज्ञा जारी दिनांक से तीन माह की अवधि में धरोहर के रूप में बंधक रखे 25 प्रतिशत इकाईयों का बंधकनामा का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय इंदौर से करा अनिवार्य होगा जो इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा एवं उसकी एक प्रति संबंधित ग्र पंचायत में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- 8/ कालोनी का विकास कार्य तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा ।
- 9/ मुख्य मार्ग से कालोनी तक का बाह्य विकास स्वयं के व्यय से प्राथमिकता से करना होगा ।
- 10/ उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।

जावक क्रमांक/1641/री०इ०/का०सैल०/2011

इन्दौर, दिनांक 16/12/2011

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व इंदौर

27

R

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)कलेक्टोरेट इन्दौर, म०

कमाक / 16/4 / शी०६० / का०स० / 2011

इन्दौर,

दिनांक 16/1/11

विज्ञापित

मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (कमाक 1 सन 1994) और उसके अन्तर्गत बनाए गये म०प्र० ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण,निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1999 के अन्तर्गत औद्योगिक भूखण्डीय प्रयोजन हेतु निम्नलिखित कालोनी को इस कार्यालय द्वारा विकास अनु प्रदान की गई है :-

अ० क्र०	कालोनाईजर का नाम तथा पता	स्थान जहाँ के लिए विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखण्डों का विवरण
1	2	3	4
1	वी०आर०गोयल इन्फार्मेटिक्स प्रा०लि० एच श्री उमरावसिंह, मानसिंह पिता श्री जगन्नाथ तर्फे विकसककर्ता वी०आर०गोयल इन्फार्मेटिक्स तर्फे डायरेक्टर पता-3-ए अग्रवाल नगर इन्दौर	ग्राम मालीखेडी के सर्वे नंबर 185/1/3, 185/3/1, 185/4/1, 186/3/1, 185/5, 185/6, 185/8, 186/1, 186/2/2, 175/1/1, 176, 185/1ख, 185/7/1, 186/2/1, 185/2, 185/7/2, 177/1, 177/2, 175/1/2	युनिट कमाक 01 से 15 तक इस प्रकार कुल 15 युनिट

उपरोक्त कालम नंबर 4 में उल्लेखित भूखण्ड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये हैं अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय आगा आदेश तक नहीं किया जावे । उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त की जा सकती है ।

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व इन्दौर

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)कलेक्टोरेट इन्दौर, म०

कमांक / 1644 / सी०ई० / का०रौ० / 2011

इन्दौर,

दिनांक 16/12/11

विज्ञापित

मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (कमांक 1 सन 1994) और उसके अन्तर्गत बनाए गये म०प्र० ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण,निर्वन्धन तथा शर्तों) नियम 1999 के अन्तर्गत औद्योगिक भूखण्डीय प्रयोजन हेतु निम्नलिखित कालोनी को इस कार्यालय द्वारा विकास अनुमति प्रदान की गई है :-

अ० क्र०	कालोनाईजर का नाम तथा पता	स्थान जहाँ के लिए विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखण्डों का विवरण
1	2	3	4
1	बी०आर०गोयल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० एव श्री उमरावसिंह, मानसिंह पिता श्री जयन्नाथ तर्फे विकासकर्ता बी०आर०गोयल इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे डायरेक्टर पता-3-ए अग्रवाल नगर इन्दौर	ग्राम मालीखेडी के सर्वे नंबर 185/1/3, 185/3/1, 185/4/1, 186/3/1, 185/5, 185/6, 185/8, 186/1, 186/2/2, 175/1/1, 176, 185/1ख, 185/7/1, 186/2/1, 185/2, 185/7/2, 177/1, 177/2, 175/1/2	युनिट कमांक 01 से 15 तक इस प्रकार कुल 15 युनिट

उपरोक्त कालम नंबर 4 में उल्लेखित भूखण्ड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये हैं अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखण्डों का कय,विकय आगा आदेश तक नहीं किया जावे । उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी अधोहरताक्षरकर्ता से प्राप्त की जा सकती है ।

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व इन्दौर

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कलेक्टर इन्दौर, म
कमाक / / शी0इ0 / का0सै0 / 2011 इन्दौर, दिनांक

प्रति

उप पंजीयक
पंजीयन कार्यालय
नवलखा
इन्दौर ।

विषय-आवेदक, बी0आर0गोयल इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 एंव श्री उमरावसिंह, मानसिंह पिता श्री जगन्नाथ तर्फे विकासकर्ता बी0आर0गोयल इन्फास्ट्रक्चर तर्फे डायरेक्टर, को ग्राम मालीखे मे दी गई कालोनी विकास अनुमति अन्तर्गत धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखण्डों व रजिस्ट्री नही करने बाबद ।

विषयांतर्गत आवेदक बी0आर0गोयल इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 एंव श्री उमरावसिंह, मानसिंह पिता श्री जगन्नाथ तर्फे विकासकर्ता बी0आर0गोयल इन्फास्ट्रक्चर तर्फे डायरेक्टर पता-3-ए अग्रवाल नगर इन्दौर द्वारा ग्राम मालीखेडी के सर्वे नंबर 185/1/3, 185/3/1, 185/4/1, 186/3/1, 185/5, 185/6, 185/8, 186/1, 186/2/2, 175/1/1, 176, 185/1ख, 185/7/1, 186/2/1, 185/2, 185/7/2, 177/1, 177/2, 175/1/2 कुल रकवा 1461 पर भूमि पर इस कार्यालय द्वारा कालोनी विकास की अनुमति प्रदान की गई है ।

उक्त कालोनी के आंतरिक विकास पेटे कालोनी के 25 प्रतिशत, युनिट कमाक: 01 स 15 इस प्रकार कुल 15 युनिट धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है। अतः उपरोक्त 15 युनिट स्वशेरी, विक्री व रजिस्ट्री आगामी आदेश तक बिना सक्षम अनुमति के नही की जावे ।

उक्त 15 युनिट के बंधकनामा का पंजीयन तीन माह के अंदर कालोनीकर्ता कराया जाना अनिवार्य होगा । जब तक कालोनीकर्ता द्वारा उक्त बंधकनामा का पंजी आपके कार्यालय में नही कराया जाता तब तक आपके कार्यालय द्वारा अन्य भूखण्डों रजिस्ट्री भी नही की जावे ।

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व, इन्दौर
दिनांक 16/12/2

पृष्ठांकन कमाक / 164 / / शी0इ0 / का0सै0 / 11 इन्दौर

प्रतिलिपि-

- 1/ आवेदक, बी0आर0गोयल इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 एंव श्री उमरावसिंह, मानसिंह पिता श्री जगन्नाथ तर्फे विकासकर्ता बी0आर0गोयल इन्फास्ट्रक्चर तर्फे डायरेक्टर पता-3-ए अग्रवाल नगर इन्दौर की और भेजकर निदेशित किया जाता है कि धरोहर के रूप में बंधक रखे गये 25 प्रतिशत भूखण्डों का बंधकनामा का उप पंजीयक कार्यालय में तीन माह में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा ।
- 2/ सरपंच ग्राम पंचायत बडिया कीमा तहसील व जिला इन्दौर की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व इन्दौर

4

कार्यालय ग्राम पंचायत बड़ियाकीमा

जलपद पंचायत, इन्दौर, जिला-इन्दौर

3

दिनांक 25/11/2011

दिनांक 25/11/2011

श्री सर गोपाल इन्फार्मेशन एंड

एडिटर श्री गोपाल पिता लालकृष्ण गोपाल एवं श्री रामचन्द्र गोपाल

पिता लालकृष्ण गोपाल निवासी - 34 अमला नगर इन्दौर एवं
श्री रामचन्द्र गोपाल पिता लालकृष्ण गोपाल एवं श्री रामचन्द्र गोपाल
निवासी - माता गाली (बेदी) जिला इन्दौर ।

विषय - श्री गोपाल इन्फार्मेशन एंड एडिटर श्री रामचन्द्र गोपाल
सेवा - कार्यालय इन्दौर में लालकृष्ण गोपाल का फोन नंबर 2667/1 (घण्टी) 11/11/2011
पत्नी श्री ली सर गोपाल इन्फार्मेशन एंड एडिटर

श्री रामचन्द्र गोपाल एवं श्री गोपाल पिता लालकृष्ण गोपाल व अन्य ग्राम
वासी श्री ली सर गोपाल इन्फार्मेशन एंड एडिटर श्री रामचन्द्र गोपाल
186/1, 186/2, 175/1, 176, 185/1, 185/1, 186/1, 185/2, 187/1
177, 177/2, 175/1, 176, 185/1, 185/1, 186/1, 185/2, 187/1
में श्री गोपाल इन्फार्मेशन एंड एडिटर श्री रामचन्द्र गोपाल
पंचायत को वेतन आवंटित नहीं है, इन्हें समस्त रासकीमा
नियमों / उपनियमों / आदेशों का पालन करना आवश्यक
है। अतः इस बाबत समान - पत्र
श्री ली सर गोपाल इन्फार्मेशन एंड एडिटर

श्री रामचन्द्र गोपाल
सरपंच

ग्राम पंचायत बड़ियाकीमा
जलपद पंचायत, इन्दौर

मालीखेड़ी - 010302860016

XV OR-99

1204

FORM F.T.C. 6

ORIGINAL

(See Subsidiary Rule 59)

शुभकृत 96

Book No.

Serial No.

RECEIPT

Dated the 30/11/2012

Received from श्री. आर. गोपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे
with tender for बी.आर. गोपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे
the sum of Rupees बी.आर. गोपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे
in cash/by cheque on/accout of बी.आर. गोपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे
at बी.आर. गोपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे
payment of बी.आर. गोपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे

Rs. 3,18,532/-

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
Signature &
बी.आर. गोपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे
Designation

कार्यालय कलेक्टर (भूमि परिवर्तन) जिला इन्दौर म.प्र.

डायवर्शन टेक्स

गांव मालीखेड़ी (इंदौर)
दिनांक 33449

फार्म 'अ'
(नियम 2 प्रकृत)
पुनर्जांचित

वर्ष 2012-2013
दिनांक 10/10/2012

(मालीखेड़ी म. प्र. जिला इन्दौर म.प्र. में बंधन 144 के अंतर्गत)

आवेदक श्री सुनील झा

नियम 2 प्रकृत अंतर्गत (आवेदक के नाम पर) कलेक्टर जिला इन्दौर

010302860016

बी.आर.गोपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे डायरेक्टर/गोपाल पि. बालकृष्ण गोपाल


A/A अग्रवाल नगर, इंदौर
सपना संगीता मेनरोड

आपको इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि अनुसूचित वर्ग के विधेय पर अधिनियम सं. 20 के अंतर्गत बकाया के
राशि 318522.00 कृपया आपका अकाउंट में जमा करने के लिए सूचना दी जा रही है कि इन के भीतर शामिल
कर देयता फीस का रूप में 10.00 का अर्थ है कि आपको इनके विरुद्ध प्राप्त रकमों
की वसूली के लिए विधि अनुसार बलात् कार्यवाही की जायेगी

गांव पट्टन	प्रतिवर्ष	बकाया वर्ष	बकाया राशि			कुल प्राप्य राशि
			प्रीमियम	कर	प्र. म. ट.	
मालीखेड़ी (इंदौर) 25	318522.00	Upto 2011-12 2012-13			0.00 318522.00	10.00 318532.00

डायवर्टेड भूमि 185-1/13 कुल क्षेत्रफल 15*6769.00 खसरा नं. 185/1/3, 185/3/1, 185/4/1, 186/3/1, 185/5/1, 185/8, 186/1, 186/2/2, 175/1/1

का पता केवल औद्योगिक भूखण्डीय विकास प्र
केवल औद्योगिक भूखण्डीय विकास प्रयोजन



अधीक्षक
परिवर्तित भूमि
एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
जिला इन्दौर

010302860016

***** हम मानते हैं पंजागत रूपकर गशि की पात्रता है । *****